न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–179/2019

1. निर्मल सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. भीमसेन पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. भूप सिंह पुत्र केसूराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. केसर पत्नी भूप सिंह जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री विकास शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री कुन्दन लाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 04.01.2021

इस वाद के निस्तारण हेतु तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने हस्तगत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. में अंकित किया कि चक 20 के.एन.एन. के खाता स0 183/179 में अंकित कुल भूमि 4.149 हैक्टेयर संयुक्त खाता में प्रतिवादी स0 1 का 622 हिस्सा तथा चक 21 के.एन.एन. के संयुक्त खाता स0 177/169 में 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 0.519 हिस्सा दर्ज है दावामें वादीगण ने कुल रकबा की तफसील दर्ज की है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है। वाद में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम भूमि पुश्तैनी है जो प्रतिवादी स0 1 के पूर्वजो से प्रतिवादी स0 1 को मिली है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है। प्रतिवादी स0 1 के पास अन्य चक में भूमि और है। वादीगण को प्रतिवादी के नाम अंकित हिस्सा भूमि बांटकर दी हुई है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते है व रकमराज दाखिल वादीगण करते चले आ रहे है। प्रश्नगत बंटवारा में मिली भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के विधिक अधिकारो पर बेजा असर पड़ता है व भूमि पर ऋण लेने, रकमराज जमा कराने व पानी की पर्ची बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण डिक्री घोषणात्मक प्राप्ति के अधिकारी है कि वादीगण, प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित भूमि में ब0हि0ब के अधिकारी है। वाद में प्रतिवादी स0 2 को पक्षकार बनाया गया है तथा वाद में उक्तानसुार इस्त दुआ करते हुये अनुतोष चाहा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण ने हाजिर होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया। राजीनामा में वादी के अनुतोष को स्वीकार करते हुये वाद में अनुतोष प्रदान करने की सहमति दी। राजीनामा होने के कारण कोई इनकी नहीं बनने से वादी ने अपने स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य में वाद का समर्थन करते हुये पेश किया वा दस्तावेज जमाबन्दी व अन्य कागजात पुश्तैनी होने के बारे में पेश किये।

साक्ष्य समाप्त कर वादी ने दावा का निस्ताण करने का निवेदन किया। बहस वकील वादी सुनी गई बहस में अधिवक्ता ने बताया कि वादीगण एंवम प्रतिवादी स0 1 आपस में पिता पुत्र है। प्रतिवादी स0 2, वादीगण की माता है। भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण का अधिकार भूमि वादग्रस्त में बनता हैं। वादीगण ने दावा को अपनी साक्ष्य से सावित किया है अतः वाद वादीगण डिक्री फरमावे।

बहस अधिवक्ता पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में पक्षकरान के मध्य राजीनामा होकर तस्दीक हो चुका है। प्रतिवादीगण स0 1 से 2 ने वादीगण के वाद को जरिये राजीनामा स्वीकार किया है व अनुतोष दावा अनुसार वाद डिक्री करने की सहमति दी है। रिकार्ड पर वादीगण के अनुतोष के लिये उपलब्ध साक्ष्य के विरोध में कोई भी आपति या अन्य विरोधी साक्ष्य नहीं है वादीगण ने अपने वाद को शपथ पत्र तथा राजस्व अभिलेख से सावित किया है। अतः वाद वादीगण डिक्री होने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि चक 20 के.एन.एन. के खाता स0 183 में संयुक्त खाता में अंकित कुल भूमि 4.1490 हैक्टेयर में प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित हिस्सा 0.622 हैक्टेयर में तथा चक 21 के.एन.एन. के खाता स0 177 में संयुक्त खाता में अंकित कुल भूमि 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 0.519 हैक्टेयर में वादीगण दोनो ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या. प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–179 / 2019

1. निर्मल सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. भीमसेन पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. भूप सिंह पुत्र केसूराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. केसर पत्नी केसूराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्तें इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विकास शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुन्दन लाल प्रतिवादीगण जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है वादी को चक 20 के.एन.एन. के खाता स0 183 में संयुक्त खाता में अंकित कुल भूमि 4.1490 हैक्टेयर में प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित हिस्सा 0.622 हैक्टेयर में तथा चक 21 के.एन.एन. के खाता स0 177 में संयुक्त खाता में अंकित कुल भूमि 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 0.519 हैक्टेयर में वादीगण दोनो ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज..X.....निल..X......मुब्लिकX.....निल.......X...बाबत्.......X........निल.....X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X..........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.01.2021 ..को जारी किया गया।

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) ★ टिब्बी ★